

रिपोर्ट पटवारी द्वारा / तहसीलदार  
 पत्र के माध्यम से जाना की गई है जिसमें अंकित

मधुसूदन

निवेदन हे ग्राम क्षेत्र की जमाबन्दी क्रमांक 2075-78 के अन्तर्गत

2009, 512 के अर्थात् का नाम निपचान्ड 32 कागा फर्क के अन्तर्गत  
 के अर्थात् जिनकी कृषि नाम निपचान्ड 32 कागा है जिन- निपचान्ड 32 कागा

क्रमांक - राजस्व/2020/

दिनांक - 6/5/2023 4. दलीलदार

मूल ही उपखण्ड अधिकारी माधुसूदन उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में धर्णितानुसार आवेदन  
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदन का नाम दुरुस्त किने जाने की अधिष्ठाता की जाती है / नहीं  
 की जाती है।

6/5/2023  
 ILR 2023/114

10/15/2023

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023  
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी जिला सुसू (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू0अ0)  
 उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1960 की धारा 130 के अनुसरण में  
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी को राजस्व  
 रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (पुनः प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	दलीलदार	2075-78	92 209 512	निपचान्ड 32 कागा फर्क कागा फर्क	निपचान्ड 32 कागा जिनकी कागा कागा फर्क

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन युक्त होने के उपरान्त निर्णय की  
 पालना की जाये।

उपखण्ड अधिकारी  
 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023  
 उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/80  
 तिलिषि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी को वास्ते पासनाथ।
2. प्राथी / प्राथीया को सूचनाथ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

प्रभारी अधिकारी  
 प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उदयपुरवाटी

